

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प3 (क)/अलेसे II लिंक न. 2984 / 37

दिनांक :- 26/05/2020

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री मदन लाल अटवाल [लिंक नं. 2984] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डेगाना, नागौर - [1429] जिनकी जन्म तिथि 12/05/1967 है, ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 15/07/2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 (1) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 15/07/2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

श्री मदन लाल अटवाल की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 05/09/1992 है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री मदन लाल अटवाल के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प3 (क)/अलेसे II लिंक न. 2984 / 37

दिनांक :- 26/05/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डेगाना, नागौर
4. कोषाधिकारी नागौर
5. श्री /श्रीमती / सुश्री मदन लाल अटवाल [2984] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डेगाना, नागौर
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट


(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)